



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 3, 2005/फाल्गुन 12, 1926

No. 223]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 3, 2005/PHALGUNA 12, 1926

पोत, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2005

का.आ. 284(अ).— मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित ट्रेलर के हरियाणा में पंजीकरण हेतु, जिनका अधिकतम सुरक्षित लदान भार और आकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है -

अनुसूची

- | | |
|---------------------|---|
| 1. ट्रेलर की किस्म | स्वतंत्र ट्रेलर |
| 2. स्वामी | मै. अग्रवाल कैरियर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फरीदाबाद। |
| 3. निर्माता | मै. ट्रेटेक इंजीनियर प्रा. लि., गुडगांव। |
| 4. ट्रेलर की संख्या | एक |
| 5. ट्रेलर का वर्णन: | |

चैसी सं.	धुरियों की संख्या	टायरों की सं., विवरण / आकार	माप (लम्बाई x चौड़ाई x ऊंचाई)	खाली वजन (कि.ग्रा.)	प्रतिधुरी अधिकतम लदान भार (कि.ग्रा.)	सकल भार (कि.ग्रा.)
01/05/00137 (वैल बैंड सहित)	4 पंक्ति (2 इन लाइन एक्सल)	7.50 x 20, 12 प्लाई प्रत्येक धुरी में 8 (2 पंक्तियों में 4x8=32 टायर)	21153 मिमि. x 3000 मिमि. x 1250 मिमि	27,800	18,000	72,000
01/05/00137 (वैल बैंड रहित)	4 पंक्ति (2 इन लाइन एक्सल)	7.50 x 20, 12 प्लाई प्रत्येक धुरी में 8 (2 पंक्तियों में 4x8=32 टायर)	9512 मिमि. x 3000 मिमि. x 1250 मिमि	17,800	18,000	72,000

6. उपर्युक्त छूट इन शर्तों के अधीन है:-

- (i) इन ट्रेलर का कभी-कभार प्रचालन किया जाएगा।

- (ii) लो.नि.वि. / स्थानीय प्राधिकारियों / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सड़कों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और वाहन को प्रत्येक बार सड़कों पर लाते समय इन प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेलर का प्रत्येक प्रचालन राज्य/ संघ शासित प्रदेश / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
- (iii) वाहन पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे हुए वाहन के आगे तथा पीछे एक-एक वाहन स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ वाहन गुजर रहा है।
- (iv) सड़क की चौड़ाई में ट्रेलर को जोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (v) ट्रेलर के आवागमन कार्यक्रम की सूचना कम-से-कम 10 दिन पूर्व संबंधित कार्यपालक इंजीनियरों को दी जानी चाहिए और उनकी स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए।
- (vi) ट्रेलर का अलग पंजीकरण किया जाएगा, न कि संयुक्त रूप से।
- (vii) किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के लोक निर्माण विभाग / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा यदि ऐसा निर्देश दिया जाए तो लदे हुए वाहन को उस राज्य / संघ शासित प्रदेश में सड़कों पर बने पुलों से गुजरने की अनुमति नहीं होगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों / नालों को पार करने के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी।
- (viii) बड़े आकार के कार्गो को ध्यान में रखते हुए उन्हें किसी मार्ग विशेष पर चलने से पहले प्रत्येक बार संबंधित राज्य या संघ शासित प्रदेश के प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऐसे प्रत्येक आवागमन के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय का निर्धारण किया जाना चाहिए।
- (ix) वे राज्य / संघ शासित प्रदेश / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित गति सीमा का पालन करेंगे।
- (x) उक्त वाहन, यातायात के सामान्य आवागमन में कोई बाधा पहुंचाए बगैर चलाया जाना चाहिए।
- (xi) सड़क पर चलने के लिए ट्रेलर की अधिकतम गति 10 कि.मी. / घंटा से अधिक नहीं होगी।
- (xii) ट्रेलर की संपूर्ण चौड़ाई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने के लिए विधिवत लिखा होना चाहिए/पार्किंग के लिए आगे, और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे वाहन की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके। इसके अतिरिक्त, माल का बाहरी भाग पूरी तरह से एक लाल परावर्तक / परावर्ती टेप से ढका होना चाहिए ताकि रात्रि के समय बाहरी भाग निर्विघ्न रूप से दिखाई दे।
- (xiii) मै. अग्रवाल कैरियर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फरीदाबाद, सड़कों अथवा सड़क ढांचों / अन्य सड़क प्रयोक्ताओं / व्यक्तियों को ऐसे ट्रेलर के प्रचालन के कारण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हुई किसी क्षति के लिए राज्य / संघ शासित प्रदेश सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- (xiv) मै.अग्रवाल कैरियर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फरीदाबाद, ऐसे प्रतिबंधों का पालन करेंगे जो इस संबंध में राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेश / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- (xv) मै. अग्रवाल कैरियर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फरीदाबाद, ऐसे वाहन के प्रत्येक बार आवागमन के संबंध में राज्य सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी को अग्रिम सूचना देगा।
- (xvi) पंजीकरण प्रमाण पत्र में एक विशेष प्रविष्टि की जाए कि ट्रेलर मालिक के लिए यह आवश्यक होगा कि वह प्रत्येक प्रचालन के लिए संबंधित प्राधिकारी अर्थात् राज्य सरकार / संघ शासित प्रदेश सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करे।

7. केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 47 के तहत निर्धारित शर्तें पूरी करने तथा बिक्री दस्तावेज (बीजक, सभी करों के भुगतान का सबूत) प्रस्तुत करने के बाद ही हरियाणा राज्य में ट्रैलरों का पंजीकरण किया जाएगा।

[फा. सं. आर टी-11042/6/2005-एम वी एल]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
(Department of Road Transport and Highways)
NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2005

S.O. 284(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval to the registration in Haryana of following trailer with maximum safe laden weight and dimensions as mentioned in the Schedule appended hereto:

SCHEDULE

1. Type of Trailer : Independent Trailer
2. Owned by : M/s Aggarwal Carriers Corporation of India, Faridabad.
3. Manufactured by : M/s Tratec Engineer Pvt. Ltd., Gurgaon
4. No. of Trailer : One

5. Description of trailer

Chassis No.	No. of Axles	No., Description, Size of tyres	Measurements (Length X Width X Height)	Unladen Weight (in Kgs.)	Maximum Per Axle Load (in Kgs)	Gross Weight (in Kgs.)
01/05/00137 (with wellbed)	4 Rows (2 in line axles)	7.50 X 20, 12 Ply, 8 in each axle (in 2 rows) (4X 8 = 32 tyres)	21153 mm X 3000 mm X 1250 mm.	27,800	18,000	72,000
01/05/00137 (without wellbed)	4 Rows (2 in line axles)	7.50 X 20, 12 Ply, 8 in each axle (in 2 rows) (4X 8 = 32 tyres)	9512 mm X 3000 mm X 1250 mm.	17,800	18,000	72,000

6. The above relaxation is subject to the conditions that :-

(i) The operations of the trailer shall be done only sparingly.

(ii) Load restrictions on various roads stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India will be observed and permission of such authorities will be obtained every time the vehicle are put on the roads. Each of the such movement will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory /National Highway Authority of India from safety point of view.

(iii) The vehicle should display all danger flags and lights, preferably the vehicle should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.

- (iv) Coupling of the trailers along side by side the width of the road shall not be permitted.
- (v) The programmed of the movement of the trailer should be intimated at least ten days in advance to the Executive Engineers concerned and their clearance obtained.
- (vi) The trailer shall be registered individually and not as a combination.
- (vii) If so directed by the Public Works Department of a State/ Union Territory /National Highway Authority of India, the loaded vehicle will not be allowed to pass over the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/ nallas.
- (viii) They would need to obtain permission each and every time before moving on a particular route from concerned state or Union Territory authorities/National Highway Authority of India enroute, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.
- (ix) They would adhere to the speed limits prescribed by the authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India.
- (x) The said vehicle should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.
- (xi) The maximum speed of the trailer for movement on the road shall not exceed 10 kms / hour.
- (xii) The trailer shall be painted for the entire width by yellow and black zebra strips on the front and rear sides duly marked for night time driving/ parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicles clearly. In addition the entire overhang shall be covered with a red reflector/ reflective tape to facilitate clear vision of overhang at night time.
- (xiii) M/s Aggarwal Carriers Corporation of India, Faridabad, would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory /National Highway Authority of India or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/other road users/person directly or indirectly due to the movement of the trailer.
- (xiv) M/s Aggarwal Carriers Corporation of India, Faridabad, will observe such restrictions as the State/ Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf.
- (xv) M/s Aggarwal Carriers Corporation of India, Faridabad., will give an advance intimation to such authority or officer specified in this behalf by the State Government/National Highway Authority of India regarding each movement of such vehicle.
- (xvi) A specific entry in Registration Certificate is to be made that the trailer owner in case of each and every movement will be required to take the permission of concerned Authority i.e. State Govt./Union Territory Govt./National Highway Authority of India.

7. The trailer shall be registered in the State of Haryana only subject to fulfillment of conditions laid down under Rule 47 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 and production of sale documents (invoice, proof of payment of all taxes).

[F. No. RT-11042/6/2005-MVL]
ALOK RAWAT, Jt. Secy.